

# फर्द अहकाम




(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, अलवर मुकाम अलवर

रामकेश मीणा बनाम विजय कुमार वगैरा

किस्म मुकदमा दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

मु० नं० .....सन -2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख इहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
30.05.2023	<p>दावा वकील वादी श्री सचिन खत्री विद्वान एडवोकेट ने उपस्थित होकर प्रस्तुत किया, दावा दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को जर्ने रजिस्टर्ड नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 03-07-2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">                       उपखण्ड अधिकारी                      अलवर                 </p>	
03-7-23	<p>पत्रावली पेश हुई बादी/वकील बादी उपर उपर प्रस्तुत किया कि पत्रावली के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं पत्रावली को नोटिस करवा चाहते हैं।</p> <p>बादी/वकील बादी को लुना गलत कापी खबर करने के उपरान्त उपर उपर लिखित बिना जाता है अतः पत्रावली को इसी स्तर पर नोटिस से खतरित किया जाता है, पत्रावली नबना लेकम हो कर तकसील पत्रावली कारिबल पत्रावली होवे।</p> <p style="text-align: right;">                       उपखण्ड अधिकारी                      अलवर                 </p>	<p>Not Proper</p> <p style="text-align: right;">                       शिवाजी शर्मा                 </p>